न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 310/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/426

प्रार्थीगण :–

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामलाल पुत्र हिमताराम
2. सायरी पत्नी हिमताराम
   जातियान जाट निवासीगण
   खांगटा

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
तहसीलदार पीपाड़ शहर –प्रार्थी
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की ओर से।

दर्ज दिनांक :–22/10/2024

निर्णय

दिनांक :– 16/04/2026

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्राकर है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की राजस्व ग्राम खांगटा में खसरा संख्या 3125/1786 रकबा 0.9749 हैक्टेयर किस्म बारानी III कृषि भूमि आई हुई है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि का गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जा रहा है जिसमें प्रयुक्त सामग्री से पर्यावरण प्रदूषित करने से अपूर्णीय क्षति होने की स्थिति अप्रार्थीगण के विरूद्व वादग्रस्त भूमि का बेचान/हस्तानान्तरण, राजस्व रेकर्ड, मौके की यथास्थिति रखे जाने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये तथा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में एवं आवश्यक प्रवृति का प्रतीत होने तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होने एवं अपूर्णीय क्षति को रोकने हेतु राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 3125/1786 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जाने एवं उक्त वादग्रस्त भूमि पर गैर कृषि नही किये जाने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

(सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 3125/1786 में कृषि कार्य करते है एवं कृषि कार्य के दौरान रहवास हेतु रहवासीय मकान निर्माण करवाया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में रेस्टोरेन्ट हेतु प्लानिंग तैयार कर वादग्रस्त भूमि का वाणिज्यक संपरिवर्तन हेतु दिनांक 09/10/2023 को ऑनलाईन आवेदन किया गया तथा जिसके ऑनलाईन आवेदन कमांक एलसी/2023–24/172267 है, वादगस्त आराजी के वाणिज्यक संपरिवर्तन के पश्चात् ही रेस्टोरेन्ट की प्लानिंग धरातल पर लेकर व्यवसाय किया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं होगी।

हमने पक्षकारान् बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन एवं उस पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा संख्या 3125/1786 पर अप्रार्थीगण द्वारा कृषि कार्य किया जाना प्रतीत होता है। चूंकि उक्त प्रकरण में संबंध में मूल वाद 37/2024 अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान् के साक्ष्य की कार्यवाही शेष है। अतः वादग्रस्त आराजी पर बेचान, हस्तानान्तरण, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाये रखने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरन्तर जारी रखना न्यायोचित प्रतित होता है, अतः प्रार्थी द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 16/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर